

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की  
धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म  
भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना विवरण :-

- 1 क) आरक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।  
 ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के घनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप  
 ग) परियोजना की लागत।  
 घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य  
 ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (सलग्न किये जाने के लिये)  
 च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है :-  
 2 कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण :-  
 3 परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है  
 4 क) परिवारों की संख्या :-  
 ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या  
 ग) पुर्ववास योजना (सलग्न किये जाने के लिये)  
 4 क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत मजूरी आवश्यक है ? (हाँ / नहीं)  
 5 प्रतिपूरक बनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और / या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक बनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः बनीकरण की वर्चन बद्धता (वर्चन बद्धता सलग्न की जायेगी)  
 6 निर्देशों के अनुसार सलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का अनुसूची सलग्न है।

तिथि 17/102/15

स्थान - थराली

राजकीय नहाविद्यालय तलवाड़ी के किमी 0.1 से राजकीय इटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु 800 मी 0 लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।  
 सलग्न है।

रु 10.00 लाख

सुदूर एवं पिछड़े क्षेत्र के लिये यातायात की सुविधा हेतु मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना आवश्यक है।

सलग्न है।

कृषि, दुग्ध एवं बागवानी के उत्पादन में वृद्धि होगी तथा रोजगार के साधन उपलब्ध होगे।

0.708 हेक्टर सिविल, कुल 0.708 हेक्टर वन भूमि

शून्य

शून्य

शून्य

अभी मार्ग कच्चा बनना है आवश्यक हुआ तो डामरीकरण के समय पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

सलग्न है।

(इ० धन सिंह कुटियाल)

अधिशासी अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

थराली, (चमोली)

## प्राप्ति - ३

### भाग - २

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य क्रम से

7 परियोजना / स्कॉम का रथान

राजकीय महाविद्यालय तलवाड़ी के किमी० १ से राजकीय इटर कॉलेज तलवाड़ी हेतु ३०० मी० लम्बाई में मोटर मार्ग का निर्माण।

उत्तराखण्ड

i) राज्य/संघ शासित क्षेत्र

चमोली

ii) जिला

बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर चमोली।

iii) वन प्रभाग

iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का ०.७०८ हेक्टर में सिविल, कुल ०.७०८ हेक्टर वन भूमि क्षेत्र (हैक्टेयर में)

-तदैव-

8 पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्तिका

9 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का व्यौरा:

- i) वन का प्रकार उत्तम
- ii) वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व ०.२ प्रतिशत
- iii) प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए प्रस्ताव में संलग्न अपेक्षित वृक्षों की परिणामना
- iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए प्रस्ताव में संलग्न कार्यकरण योजना का तुरखा

10 भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की भू-वैज्ञानिक की रिपोर्ट संलग्न स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

11 वन भूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :

12 वन्य जीव की दृश्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

- i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लागू नहीं लगभग विद्यमान वन्यजीव का व्यौरा :
- ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याध रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बारे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की ओर टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)
- iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याध रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के बारे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)

VII	क्या राज्यीय वृद्धान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र सिंह, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्तरवास आदि पूर्वोक्त के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से रुक कियी की भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के बारे में यहां जाए)	लागू नहीं
V)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जटु के अलग या खतरे में अलग किसम के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके बारे में लागू नहीं	
13	क्या क्षेत्र में कोई सरक्षित मुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण सम्मानक अवस्थित है (यदि ऐसा है, तो उपादान किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण—पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका व्यापार दें)	शून्य
14	पूर्वोक्त के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :	
i)	क्या भाग— 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	वन भूमि न्यूनतम है, अभी मार्ग प्रस्तावित है। कोई उल्लंघन नहीं गया। स्वीकृति प्राप्त के पश्चात निर्माण करवाया जाना है।
ii)	यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वोक्त के लिए उपयोग किया जा सकता है।	
15	किए गए अतिकमण के बारे :	
i)	क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिकमण में किसी कार्य को किया गया है (हाँ / नहीं)	नहीं
ii)	यदि हाँ, की गई कार्य अवधि, अतिकमण में अंतर्वलित वन भूमि, अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिकमण के बारे और अतिकमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही	शून्य
iii)	क्या अतिकमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हाँ / नहीं)	नहीं
16	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे :	
i	क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रारिष्ठति।	संलग्न
ii	अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे बारे में दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	संलग्न है।
iii	क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीक्ष्य वन सीमाएं संलग्न हैं।	संलग्न है।
iv	रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के बारे संलग्न हैं (हाँ / नहीं)।	हाँ
iv	क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय :	..... लाख
v	क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन सरकार से प्रमाण—पत्र संलग्न है (हाँ / नहीं)।	हाँ

- 17 यनरणि और जीव जाति पर प्रस्तुतिह कियाकलापी के समाधान हा  
से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश ने लाने वाले उप वन  
संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सुलगने हैं (हा / नहीं)
- 18 स्थीकृति या अन्यथा कारणी के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संस्थान को जाती है।  
संरक्षक की विभिन्निक सिफारिश

तिथि .....

हस्ताक्षर

स्थान — .....

(नाम ..... )

सरकारी मुहर

प्रभाकर रनजीतिकारी  
बद्रानाथ वन प्रभाग  
बोयेश्वर (ब्रह्मोदी)

वन संचारिकारी  
मध्य पिण्डर राजि पराल  
लक्ष्मीनाथ वन प्रभाग

**Attachment 2.43 (B)**

**SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF  
(For the forest land to be diverted under FCA)**

A proposal has been received by this office from Dt. .... for diversion under FCA-1980) of 0.708 ha. of forest land non-forestry purpose. The Project envisages the use of forest land for Construction of Motor Road from Km. 1 of Mahavidhyalaya Talwari to Government Inter Collage Talwari. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated .....

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/PF/un-classed/Protect forest measuring 0.708 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 Part I is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If so the details there of .

Whether any protected archeological/heritage site/defense establishment or any other important monuments is located in the area, if so the details there of with NOC from competent authority if required –

- The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.
- It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act. 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of Chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act. 1980 is attached.

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.



प्रभारी विधि वकाली

Place - गोपेश्वर  
Date - 13/03/115

(Signature) नाथ बन भाग  
Name - मोहम्मद (खानी)  
Designation \_\_\_\_\_  
Office Seal \_\_\_\_\_

- N.B.  State the purpose for which the forest land is proposed to be diverted.  
 out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC dated 16-10-2000 from Ministry of Environment & Forests, Government of India for proposal involving less than 40 hectares of forest land, the site inspection report form DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.